खा. नं. 355 शिवराज सिंह पुत्र रूपसिंह चारण
अनुसार

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

रिपार्ट पटवारी......[illegible]......व भू.अ. निरिक्षक......रायपुर......तहसील रायपुर

महोदयजी, मुताबिक दस्तावेज खातासं 355 के आधार पर प्रार्थी शिवराजसिंह पि रूपसिंह चारण का नाम दुरुस्त है संबंधी मौजा खा सं 8, 357, 73, 71 354 में शिवसिंह पि रूपडान चारण है जिसको शिवराजसिंह पि रूपसिंह चारण किया जाना उचित है जबकि खा सं 355 व अन्य दस्तावेजों में नाम शिवराजसिंह पि रूपसिंह चारण है अतः श्रीमान से निवेदन है कि खा स 8. 357, 73, 71, 354 में नाम शिवराजसिंह पि रूपसिंह चारण किया जाना है

[signature] पटवार 11/10/21
[signature] रायपुर 11/10/2021

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार रायपुर

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर की जांच अनुसार [struck through] है। उचित

राजस्व [signature] 11-10-2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

[signature] 11/10/21
तहसीलदार (भू.अ.) रायपुर
जिला भीलवाड़ा

आदेश

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
दिनांक 11.10.2021

क्रमांक/प्र०गा० सं./2021/17/2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का, भू.अभि.निरी. व तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बाड़ी की जमाबंदी संवत 2074-77 के खा.सं. 8, 71, 354 व 357 शिवराज पि० रूपडान के बजाय शिवराज सिंह पि० रूपसिंह चारण नाम शुद्धि किया जावे तदनुसार रिकार्ड मे इन्द्राज किया जावे।

[signature] 11.10.2021
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.03

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

शिवराज सिंह पिता रूपसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर   प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा   विपक्षी

मु0नं0 17 सन् 2021

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
दिनांक– **11-10-2021**	प्रार्थी शिवराज सिंह पिता रूपसिंह चारण निवासी बाड़ी तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम बाड़ी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में खाता संख्या 357 में किता 1 रकबा 0.05 है0 खाता संख्या 354 में किता 30 रकबा 10.57 है0, खाता संख्या 71 में किता 2 रकबा 0.16 है0, खाता संख्या 73 किता 2 रकबा 0.88 है0, खाता संख्या 357 किता 1 रकबा 0.05 है0, खाता संख्या 8 किता 1 रकबा 0.03 है0, भूमि प्रार्थी के स्वयं का नाम शिवराज दत्तक पुत्र केशर कवंर पत्नि स्व. रूपदान चारण, शिवराजसिंह पुत्र रूपदान सिंह चारण, शिवसिंह पुत्र रूपदान चारण सा. देह के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी के नाम शिवराज सिंह पिता रूपसिंह चारण के बजाय विभिन्न नाम शिवराज दत्तक पुत्र केशर कवंर पत्नि स्व. रूपदान चारण, शिवराजसिंह पुत्र रूपदान सिंह चारण, शिवसिंह पुत्र रूपदान चारण अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम शिवराज सिंह पिता रूपसिंह चारण है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बाड़ी के खाता संख्या 357, 354, 71, 73, 8 में खातेदार विभिन्न नाम शिवराज दत्तक पुत्र केशर कवंर पत्नि स्व. रूपदान चारण, शिवराजसिंह पुत्र रूपदान सिंह चारण, शिवसिंह पुत्र रूपदान चारण के बजाय शिवराज सिंह पिता रूपसिंह चारण दुरूस्ती किया जाना उचित है, की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधि[illegible] 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वी[illegible] जाकर खातेदार के विभिन्न नाम शिवराज दत्त[illegible] केशर कव[illegible] स्व. रूपदान चारण, शिवराजसिंह पुत्र रूपदान [illegible] रूपदान चारण के बजाय शिवराज सिंह पिता रूपसिंह [illegible] के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृती दी गई, विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 11-10-2021 (सुन्दर लाल बम्बोड़ा) उपखण्ड अधिकारी, रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested